

<p>क्षैतिज आरक्षण विषयवार नियमानुसार देय होगा। वेतनमान – 9300 – 34800 ग्रेड पे – 4800 लेबल – 8 नोट– परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। 7. आरक्षण : उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा– उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थियों/उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। नोट–(1) शासनादेश संख्या–39 रिट/का–2/2019 दिनांक–26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या–18/1/99/का–2/2006 दिनांक–09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर–4 में दिये गये प्राविधान, “यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है” को रिट याचिका संख्या– 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक–16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक–09.01.2007 से प्रस्तर–04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या–475/2019 में मा. न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। (2) आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट–3 में मुद्रित तथा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (3) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। (4) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। (5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। (6) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। (7) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p>	<p>(यूथेनिक्स) या कोई समकक्ष भारतीय या विदेशी अर्हता जिसमें स्नातक स्तर पर गृहकला या गृह विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो (न किसी वैकल्पिक विषय के रूप में) या माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट परीक्षा के पश्चात् लेडी इरविन कालेज, दिल्ली से गृह–विज्ञान में तीन वर्ष का डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि</p>
---	---

अधिमानी अर्हता:– प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान तथा वाणिज्य को छोड़कर शेष विषयों हेतु अधिमानी अर्हता निम्नवत है:–

“राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एल.टी. डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा–शास्त्र में स्नातक उपाधि।”

उक्त के अतिरिक्त सभी विषयों हेतु निम्नवत अधिमानी अर्हता भी है:–

- (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

नोट– (1) प्रवक्ता (गृह विज्ञान) पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल महिला शाखा के लिये है।

(2) एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी केवल उसी एक विषय के पद के लिए अर्ह/पात्र माने जायेंगे, जिसके प्रश्नपत्र की परीक्षा में वे सम्मिलित होंगे।

11. आयु सीमा:– अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2020 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1980 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1965 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (2) अधिकतम आयु सीमा में छूट:– (क) उ0प्र0 की अनुसूचित जाति, उ0प्र0 की अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1975 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये समूह “ग” के पदों हेतु नियमानुसार आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण देय होगा।

12. प्रवक्ता (पुरुष/महिला) राजकीय इण्टर कालेज मुख्य (लिखित) परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनायें:– (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किये जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹ 200 /– एवं आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /–, योग ₹ 225 /– तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क को ₹ 80 /– एवं आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /– योग ₹ 105 /– निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। परन्तु उन्हें आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /– मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क ₹ 80 /– एवं आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /– योग ₹ 105 /– निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। (2) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। (3) मुख्य परीक्षाओं हेतु तिथियाँ तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, जिनकी सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। (4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट– प्रवक्ता (पुरुष/महिला) राजकीय इण्टर कालेज परीक्षा की मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

13. अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश:– (1) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 5 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। (2) आन–लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, नाम व पते का जो दावा किया जायेगा, वही मान्य होगा। इसके बाद कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा, इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। ‘गलत’/भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। (3) हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (4) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (5) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किये गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम की धारा–3 के अनुसार पदों का नया चिन्हांकन अभी शासन से नहीं प्राप्त हुआ है अतएव नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अध्याचन में दिव्यांग रिक्तियों का जो चिन्हांकन (श्रेणी/उपश्रेणी) प्राप्त होगा उसी के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी। (6) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। (8) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये

क्र. सं०	पदनाम	शैक्षिक अर्हता (अनिवार्य)
1	प्रवक्ता (पुरुष/महिला), समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
2	प्रवक्ता (पुरुष/महिला), जीव विज्ञान	वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि
3	प्रवक्ता (पुरुष/महिला), शिक्षाशास्त्र	मनोविज्ञान या शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि।
4	प्रवक्ता (पुरुष/महिला), हिन्दी	हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री परीक्षा का प्रमाण–पत्र
5	प्रवक्ता (पुरुष/महिला), उर्दू	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि
6	प्रवक्ता (पुरुष/महिला), संस्कृत	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि
7.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– वाणिज्य	वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि।
8.	प्रवक्ता (महिला)– गृह विज्ञान	गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में बी.एस.सी. गृह विज्ञान या गृह कला से स्नातक या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक। या आई0टी0 कालेज, लखनऊ से बी0एस0सी0

continued..

जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। (9) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर तथा त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर, आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (10) आयोग आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। (11) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। (12) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नं०, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिये। (13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (14) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 13 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे। (15) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। (16) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक भरने में केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (17) अभ्यर्थी OMR Answer Sheet की सभी प्रविष्टियाँ सही-सही भरें। इन्हें रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटि पूर्ण भरने की स्थिति में उनकी OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ओएमआर उत्तर पत्रांक में भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जायेगा। (18) OMR Answer Sheet दो प्रतियों में, एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's copy) अपने साथ लें जायेंगे। (19) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में गलत उत्तर पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी -1 प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा। यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। (20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

- अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON LINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयुसीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों तथा दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हतायें आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिये।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्री की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-453/79-बी-1-15-1(का)14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।
- यदि अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा Website पर "Contact us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया **परिशिष्ट-1** में दी गई है। परीक्षा हेतु जिलों की सूची **परिशिष्ट-2** पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का नमूना **परिशिष्ट-3** पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रारम्भिक परीक्षा का परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-04** पर तथा मुख्य परीक्षा का परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-05** पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the top of the page, there is a Declaration. The candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully. Candidate has the option either to agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-line Application.

Notification Details :

This section shows information relevant to Notification

Personal Details

This section shows information about candidate's personal details i.e. Registration Number, candidate's name, Father/Husband's name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email ID and contact number.

Other Details of Candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army service duration and your physical deformity.

Education & Experience Details

Its shows your educational and experience details.

Candidate address, photo & signature details

Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time, if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using "Back" button you can modify your details.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE]

For other Information: For other Information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in>

CANDIDATE SEGMENT
NOTIFICATIONS/ADVTS
All Notifications/Advertisements
ONLINE FORM SUBMISSION
1. Candidate Registration (First Stage)
2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)
3. Submit Application Form (Third Stage)
APPLICATION FORM STATUS
Update your transaction ID by Double Verification mode View Application Status
List of Applications Having photo related Objections
Print Duplicate Registration Slip
Print Detailed Application Form
EXAMINATION SEGMENT
Print Address Slip for sending Documents to commission [Only for Direct Recruitment]
DOWNLOAD SEGMENT
Download Admit Card
Download interview letter
Download Syllabus
Know your Registration No.
Click here to view Key Answer Sheet
Regarding Application :
1. On clicking "View Application status" option in Candidate Segment page you can see current status of candidate.
2. On clicking "Result" option in Candidate Segment page candidate can see result status of periodically.
3. "Interview/Exam Schedule" option in Candidate Segment page candidate can see interview and examination schedule details periodically.
4. On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet.
5. On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their Admit Card using with some basic credential of candidate.
6. On clicking "List of Rejected Candidate" candidate can view Rejected candidate list.
7. On clicking "Syllabus" candidate can view syllabus of particular examination.

[Candidates applying on-line need NOT send hard copy of the Online Application filled by them on-line or any other document/certificate/testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the On-line Application and retain it for further communication with the UPPSC.] [The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions.] UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the Web-Link will be disabled.


परिशिष्ट-1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

- Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
- Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
- The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in *.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.
- Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.
- If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.
- The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
- The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
- The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-



continued..

परिशिष्ट - 2

जिन नगरों में परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं:- **लखनऊ तथा प्रयागराज**।
अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटायी/बढ़ाई जा सकती है।

परिशिष्ट - 3

उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....
निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
स्थान हस्ताक्षर
दिनांक पूरा नाम
मुहर पद नाम
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री
निवासी ग्राम तहसील नगर जिला
उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
स्थान हस्ताक्षर
दिनांक पूरा नाम
मुहर पद नाम
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या- दिनांक-

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री
ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना
तहसील जिला राज्य पिनकोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
- अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का
पासपोर्ट साईज
का अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम
पदनाम
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-2)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/कस्बा
पोस्ट ऑफिस थाना ब्लॉक तहसील
जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-

- मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
- मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु. (शब्दों में) है।
- मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
- अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

उ.प्र. के दिव्यांगों के लिए प्रमाण-पत्र

**DISABILITY CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.
NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL**

Certificate No.

Date

DISABILITY CERTIFICATE

Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board

This is to certified that Shri/Smt/Kum. son/wife/daughter of Shri age Sex identification mark (s) is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

- BL-Both legs affected but not arms.
- BA-Both arms affected
 - Impaired reach
 - Weakness or grip
- BLA-Both legs and both arms affected
- OL-One leg affected (right or left)
 - Impaired reach
 - Weakness of grip
 - Ataxic
- OA-One arm affected
 - Impaired reach
 - Weakness of grip
 - Ataxic
- BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood)
- MW- Muscular weakness and limited physical endurance

B. Blindness or Low Vision:

- B-Blind
- PB-Partially Blind

C. Hearing impairment:

- D-Deaf
- PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

- This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/ not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of year months.
- Percentage of disability in his/her case is percent.
- Sh./Smt./Kum. meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- | | |
|--|--------|
| (i) F-can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) PP-can perform work by pulling & pushing. | Yes/No |
| (iii) L-can perform work by lifting. | Yes/No |
| (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. | Yes/No |
| (v) B-can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) S-can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) ST-can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii)W-can perform work by walking. | Yes/No |
| (ix) SE-can perform work by seeing. | Yes/No |
| (x) H-can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |
| (xi) RW-can perform work by reading and writing. | Yes/No |

(Dr.)
Member
Medical Board

(Dr.)
Member
Medical Board

(Dr.)
Chairperson
Medical Board

Countersigned by the
Medical Superintendent/
CMO/HQ Hospital
(with seal)

Strike out which is not applicable.

उ.प्र. लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)

उ०प्र० लोक सेवा आयोग

(5)

पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र)/पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपर्युक्त अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

स्थान

दिनांक

मुहर

जिलाधिकारी

सील

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

हस्ताक्षर

नाम

पद

संस्था का नाम

मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं
शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985
प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

पद

संस्था का नाम.....

मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

परिशिष्ट-4
प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन/वैकल्पिक विषय का एक प्रश्नपत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 (वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न) होगा जो कुल 300 अंकों का तथा समय 2 घंटों का होगा।

पाठ्यक्रम
सामान्य अध्ययन

- 1- सामान्य विज्ञान
- 2- भारत का इतिहास
- 3- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
- 4- भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
- 5- भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
- 6- विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
- 7- अधुनातन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
- 8- सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता
- 9- उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन-सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी
- 10- प्रारम्भिक गणित (आठवीं स्तर तक) - अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित
- 11- परिस्थितिकी तथा पर्यावरण

वैकल्पिक विषय (Optional Subject)

वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा।

प्रारूप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

पद

संस्था का नाम

पता

मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

परिशिष्ट 5
मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

1. प्रथम प्रश्नपत्र-	सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध	समय-02 घंटा	पूर्णांक- 100 अंक (परम्परागत)
2. द्वितीय प्रश्नपत्र-	वैकल्पिक विषय	समय- 03 घंटा	पूर्णांक- 300 अंक (परम्परागत)

पाठ्यक्रम

प्रथम खण्ड सामान्य हिन्दी निर्धारित अंक- 50

- 1- अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे सम्बन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक।
- 2- अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यावाची शब्द, तत्सम एवं तदभव, क्षेत्रीय विदेशी (शब्द भण्डार), वर्तनी, अर्थबोध, शब्द-रूप, संधि, समास, क्रियाएँ, हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरें एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ।

द्वितीय खण्ड हिन्दी निबन्ध निर्धारित अंक- 50

इसके अन्तर्गत एक खण्ड होगा। इस खण्ड में से एक निबन्ध लिखना होगा। इस निबन्ध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। निबन्ध हेतु निम्नवत् क्षेत्र होंगे:-

- 1- साहित्य, संस्कृति
- 2- राष्ट्रीय विकास योजनाएं/क्रियान्वयन
- 3- राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय, सामयिक सामाजिक समस्यायें/निदान
- 4- विज्ञान तथा पर्यावरण
- 5- प्रकृतिक आपदायें एवं उनके निवारण
- 6- कृषि, उद्योग एवं व्यापार

प्रारूप - 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

पद

संस्था का नाम

मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

(2) (Optional Subjects)
वैकल्पिक विषय
(द्वितीय प्रश्न पत्र)

परीक्षा योजना- वैकल्पिक विषयों के (परम्परागत) प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत् है:-

- 1- प्रश्नों की कुल संख्या- 20 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खण्डों में विभाजित रहेंगे।

खण्ड - अ- के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न सामान्य उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 250) एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा।

खण्ड - ब- के अन्तर्गत 05 प्रश्न लघुउत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 150) एवं प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा।

खण्ड - स- के अन्तर्गत 10 प्रश्न अतिलघु उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 50) एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा।

वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम
हिन्दी

- **हिन्दी साहित्य का इतिहास:** हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखन की परम्परा, हिन्दी-साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन। आदिकाल- नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ। भक्तिकाल- सामान्य विशेषताएँ, भक्तिकाल की धाराएँ- ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी (सूफी) काव्यधारा, कृष्णभक्ति काव्यधारा- रामभक्ति काव्यधारा, चारों काव्यधाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। रीतिकाल-नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आधुनिक काल-भारतेन्दुयुग, द्विवेदीयुग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता, प्रपद्यवाद, नवगीत। विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएँ। प्रसिद्ध काव्य-पंक्तियाँ एवं सूक्तियों के लेखकों/कवियों के नाम।

- **गद्य-साहित्य का उद्भव और विकास:** निबन्ध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना। गद्य की अन्य नवीन विधाएँ-जीवनी-साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, यात्रा-साहित्य, डायरी-साहित्य, व्यंग्य, इण्टरव्यू, बाल-साहित्य, स्त्री-विमर्श, दलित-विमर्श। युगप्रवर्तक लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएँ।

- **पत्रकारिता:** प्रमुख हिन्द पत्र-पत्रिकाएँ: प्रकाशन-स्थान, प्रकाशन-वर्ष तथा उनके प्रमुख सम्पादकों के नाम।

- **काव्यशास्त्र:** भारतीय काव्यशास्त्र-काव्यलक्षण, भेद। रस, छन्द, अलंकार, काव्य-सम्प्रदाय, काव्ययुग, काव्यदोष, शब्दशक्तियाँ।

- **भाषाविज्ञान:** हिन्दी की उपभाषाएँ, विभाषाएँ, बोलियाँ, हिन्दी की ध्वनियाँ, हिन्दी शब्द-सम्पदा।

- **हिन्दी-व्याकरण:** सन्धि, समास, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी-सम्बन्धी अशुद्धिशोधन, वाक्य-सम्बन्धी अशुद्धिशोधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समोच्चरित-प्राय भिन्नार्थक शब्द, विरामचिन्ह, मुहावरा और लोकोक्ति। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उपसर्ग, प्रत्यय।

- **संस्कृत-** साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ: कालिदास, भवभूति, भारवि,

प्रारूप - 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

continued.

7- ईथर- बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण, धर्म एवं उपयोग।
 8- कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उनके व्युत्पन्न-
 क- अम्लों के बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता पर प्रतिस्थापित समूहों का प्रभाव।
 ख- एसिड हैलाइड, एस्टर, एमाइड, अम्ल एनहाइड्राइड बनाने की विधि एवं सामान्य गुण।
 9- नाइट्रोजनयुक्त कार्बनिक यौगिक:-
 क- एमीन-वर्गीकरण, बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण। एमीनों के क्षारीय गुण, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन की पहचान।
 ख- नाइट्रोजनयुक्त- बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण।
 ग- सायनाइड और आइसोसायनाइड- बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक तथा रासायनिक गुण।
 10- जैव अणु:-
 क- कार्बोहाइड्रेट- मोलिश परीक्षण, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोस- बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग, ग्लूकोस का बिन्यास, ग्लूकोस की रिंग संरचना, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, ग्लूकोज के एनोमर।
 ख- प्रोटीन- अल्फा अमीनों अम्ल, पेप्टाइड बन्ध, पाली पेप्टाइड, प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्रोटीन का विकृतीकरण, ज्वीटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक बिन्दु।
 ग- लिपिड और हारमोन:-
 बसा एवं तेल- परिचय, वसा तथा तेल में अन्तर, तेल और वसा के गुण।
 स्टेरायड- प्राकृतिक एवं कृत्रिम स्टेरायड
 हारमोन- वर्गीकरण, हारमोनों के शरीर क्रियात्मक प्रकार्य
 घ- विटामिन- वर्गीकरण एवं कार्य, कमियों से होने वाले रोग।
 ङ- न्यूक्लीक अम्ल- न्युक्लिओसाइड्स और न्युक्लिओटाइड्स
 डी०एन०ए० की प्राथमिक संरचना
 डी०एन०ए० और आर०एन०ए० में अन्तर
 डी०एन०ए० फिंगर प्रिन्टिंग।
 11- बहुलक- वर्गीकरण (प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक) बहुलीकरण की विधियाँ- योग बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण।
 योग बहुलीकरण- पालीथीन, टेफलान, पी०वी०सी० ब्यूना-एस, ब्यूना-एन, नीओप्रिन।
 संघनन बहुलीकरण- नायलान-६, नायलान ६.६, पालीएस्टर-टैरीलीन, बैकेलाइट, मिथाइल मेलामाइन। जैव अपघटनीय और जैव अनअपघटनीय बहुलक।
 12- दैनिक जीवन में रसायन-
 क- औषधियों में रसायन- पीडाहारी, प्रशान्तक, पूर्तिरोधी, विसंकामी, प्रतिरक्षक, प्रतिजैविक, प्रतिअम्ल, प्रतिहिस्टामीन, प्रतिआक्सीकारक,
 ख- खाद्य पदार्थों में रसायन- खाद्य परिरक्षक, कृत्रिम मधुरक,
 ग- अपमार्जक- साबुन तथा अपमार्जक में अन्तर।
 साबुन की निर्मलन क्रिया।

जीव विज्ञान
खण्ड- अ- वनस्पति विज्ञान

(1) पादप विविधता
 क- पौधों का वर्गीकरण (टेक्सोनीमी)
 ख- निम्नलिखित के प्रकृति, आवास एवं संरचना का अध्ययन
 1- एल्गी 2- ब्रायोफाइट 3- टेरिडोफाइट
 4- जिम्नोस्पर्म 5- एन्जियोस्पर्म एवं इसके कुलों, कूसी फेरी कम्पोजिटी, मॉलवेसी, लिलिएसी एवं सोलेनेसी का अध्ययन
 2- एन्जियोस्पर्म- आकारिकी एवं आकारिकीय अनुकूलन उनकी पत्तियों, जड़ एवं तने में: पादप हिस्टोलोजी, पौधों में वृद्धि, प्रजनन एवं विकास
 3- पादप कार्मिकी- 1- जल सम्बन्ध- वाष्पोत्सर्जन, ट्रान्सलोकेशन
 2- प्रकाश संश्लेषण और फोटो केमिस्ट्री
 3- श्वसन एवं उपापचय
 4- पौधों के पोषण (पोषक तत्व नाइट्रोजन फिक्सेशन)
 5- पौधों के वृद्धि नियंत्रक (फाइटोहार्मोन्स)
 6- फ्लावरिंग एवं स्ट्रेस फीजियोलोजी
 7- पादप वृद्धि एवं गति
 4-माइक्रो वायोलोजी-1- वायरसेज, फाइटो प्लास्मा, आर्की वैक्टीरिया यूबैक्टीरिया
 2- फन्जोई (सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, वृद्धि एवं प्रजनन, जीवन चक्र)
 3- आर्थिक महत्व सूक्ष्म जीवों का
 5- इकोनामिक बाटनी- 1- मेडिसिनल एवं एरोमेटिक पौधे
 2- भोज्य पादप
 3- चारे सम्बन्धी पौधे
 4- रेशेदार पौधे एवं फसलें
 5- फल एवं सब्जियों वाले पौधे
 6- इथिनो, बॉटनी
 7- सजावटी पौधे
 8- तेल पैदा करने वाले पौधे
 9- टिम्बर उपयोगी पौधे
 10- बहुउपयोगी पौधे
 6- प्लान्ट पैथोलोजी- 1- पौधों में विभिन्न बीमारियों, रोक थाम एवं देखभाल करके नियंत्रण।
 2- पौधों में विभिन्न बीमारियों एवं परजीवियों क्रास नियंत्रण
 7- इकोलोजी और वातावरण-
 1- पारिस्थितिकीय अवधारणा एवं वातावरण
 2- भिन्न प्रकार के आवास एवं इकोलॉजिकल निशे
 3- पारिस्थितिक तन्त्र- संरचना एवं कार्य, पारिस्थितिक तन्त्र स्थायित्व, संग्रहण क्षमता, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकीय पिरामिड बायोमास
 4- जनसंख्या, बायोटिक कम्युनिटी
 5- बायोजियो केमिकल्स-चक्र
 6- इकोलॉजिकल सर्वेक्षण
 7- प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण
 8- जैव विविधता एवं संरक्षण (अनसिड और इक्ससिड)
 9- वातावरणीय प्रदूषण कारण एवं दुष्प्रभाव, वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ओजोन क्षरण, अम्ल वर्षा, युट्रा फिकेशन, वायोलॉजीकल मैगनीफिकेशन, समुद्री प्रदूषण, समुद्रीअम्लीकरण, समस्त प्रकार के प्रदूषणों का नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एवं ग्रीन हाउस प्रभाव, इनवॉरानमेन्टल मैनेजमेन्ट, रिनियेबुल ऊर्जा स्रोत सस्टेनेबुल विकास, बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन व्यवस्था।

खण्ड-ब

जन्तु विज्ञान

1- जीव विविधता- जन्तुओं का वर्गीकरण उनके लक्षणों सहित।
 2- अकशेरुकी-
 अ- अकशेरुकी का वर्गीकरण।
 ब- निम्नलिखित अकशेरुकी की-
 संरचना, आन्तरिक संरचना, पोषण, श्वसन तथा प्रजनन-
 अमीबा, साइकन, हाइड्रा, एर्केरिस, काकरोच, पायला तथा तारा-मछली।
 स- परजीवी प्रोटोजोआ।
 द- हेलमिन्थ में परजीवी अनुकूलन।

न- कीटों का आर्थिक महत्व।
 3- कशेरुकी-
 अ- कशेरुकी का वर्गीकरण तथा प्रत्येक वर्ग के लक्षण व उदाहरण।
 ब- मछलियों में जलीय अनुकूलन।
 स- स्थलीय कशेरुकी की उत्पत्ति तथा विकास।
 4- मेढक, कबूतर तथा खरगोश की आन्तरिक संरचना।
 5- जन्तु ऊतिकीय।
 6- शरीर क्रिया विज्ञान- (कार्यिकी)-
 अ- पोषण तथा भोजन का पाचन।
 ब- श्वसन तथा उपापचय।
 स- रुधिर संवहन तंत्र- रुधिर, हृदय तथा रुधिर संवहन, परिसंचरण।
 द- आस्मोरेगुलेशन, नाइट्रोजन, उत्सर्जन तथा लवण व जल संतुलन।
 न- चलन क्रिया।
 प- अंतः- स्रावी ग्रन्थियाँ तथा हारमोन्स, फिरोमान्स।
 फ- तंत्रिका तंत्र- कोआर्डिनेशन व इन्टीग्रेसन तथा ज्ञानेन्द्रियाँ।
 म- प्रतिरक्षा तंत्र।
 7- भ्रूण विज्ञान-
 अ- गैमीटोजेनेसिस।
 ब- फर्टिलाइजेसन- निम्न एवं उच्च वर्ग के जन्तुओं में।
 स- डिम्ब के प्रकार तथा क्लीवेज।
 द- आरगेनोजनीसिस एवं मेटामोर्फोसिस।
 न- मेढक का भ्रूणीय विकास तथा कायान्तरण।
 प- पक्षियों में भ्रूणीय झिल्लियाँ।
 फ- स्तनधारियों में अपरा।
 म- पुनरुद्भवण।
 य- मानव जनन एवं जनन कार्यिकी।
 8- कोशिका विज्ञान-
 1- प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाएं- इनकी संरचना व लक्षण।
 2- कोशिका विभाजन- समसूत्री एवं अर्द्ध-सूत्री।
 3- विभिन्न कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य।
 4- गुण-सूत्रों की संरचना तथा कोशिका विभाजन के समय इनका व्यवहार।
 5- न्यूक्लिक अम्ल- (अ) डी०एन०ए० एवं आर०एन०ए० की आणुविक संरचना (ब) एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डी०एन०ए० (स) डी०एन०ए० द्विगुणन तथा पुनर्निर्माण (द) जेनेटिक कोड, सेन्ट्रल डोग्मा, प्रोटीन संश्लेषण तथा जीन की अभिव्यक्ति
 9- आनुवंशिकी- (अ) मेन्डेल के आनुवंशिकी नियम (ब) को-डोमिनेन्स, इनकम्प्लीट डोमिनेन्स तथा जीन्स की विनिमय क्रियाएं (स) वंशागति क्रोमोसोमी सिद्धान्त (द) लिन्केज तथा क्रासिंग ओवर (घ) लिंग निर्धारण (प) बहुजीनी वंशागति तथा बहुगुणितता (फ) मानव आनुवंशिक रोग (भ) उत्परिवर्तन
 10- जैव प्रोद्योगिकी- (अ) जैव प्रोद्योगिकी की परिकल्पना, सिद्धान्त तथा क्षेत्र (ब) जैव-प्रोद्योगिकीकी संयम तथा तकनीक (स) रिकाम्बिनेन्ट डी०एन०ए० तकनीक तथा मानव-कल्याण में इसकी उपयोगिता (द) टिशू कल्चर तथा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन (न) जेनेटिकली मॉडीफाइड आर्गेनिज्म (जोखिम व नैतिक विषय)
 11- जैव-विकास- (अ) जैव विकास की परिकल्पना एवं सिद्धान्त (ब) जीवन की उत्पत्ति (स) जैव-विकास के सिद्धान्त (लेमार्क एवं डार्विन) (द) जैव-विकास के साक्ष्य (न) नव-डार्विनिज्म तथा विकास की सिन्थैटिक थ्योरी (प) विविधता (फ) मानव विकास

गणित

1. सम्बन्ध और फलन: सम्बन्धों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्य सम्बन्ध, तुल्यता क्लास, एकैकी एवं आच्छादक फलन, संयुक्त फलन, प्रतिलोम फल, द्विआधारी संक्रियाएँ।
 2. बीज गणित:
 (i) आव्यूह: आव्यूह के प्रकार, शून्य आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, सममित ओर वि सममित आव्यूह, आव्यूह का सहखण्डन, आव्यूह का प्रतिलोम, आव्यूह की सहायता से ती अज्ञात राशियों के युगपत के समीकरण का हल।
 (ii) सारणित: उपसारणिक व सहखण्ड 3x3 क्रम तक के सारणिक का विस्तार सारणिक के गुण धर्म, सहखण्डज एवं प्रतिलोम ज्ञात करना (वर्ग आव्यूह का)। संगति ए असंगति तथा रेखीय समीकरणों का हल व उदाहरण। दो या तीन चर राशियों के रेखीय युगपद समीकरणों का हल प्राप्त करना।
 (iii) दो या अधिक कोटि के समीकरण का सिद्धान्त, समान्तर, गुणोत्तर व हरात्मक श्रेणी, क्रमचय एवं संचय, द्विपद प्रमेय, चरघातांकी एवं लघुगणकीय सीरिज का योग।
 (iv) प्रायिकता: प्रायिकता का गुणनप्रमेय, प्रतिबन्धित प्रायिकता, स्वतन्त्र घटनायें, पू प्रायिकता, वेजप्रमेय, द्विपद वितरण, अवकलन एवं समाकलन: (i) फलन की सीमा, सततता एवं अवकलनियता, संयुक्त फलन व्युत्पत्ति या अवकलज, विभिन्न प्रकार के फलनों की अवकलनियता, श्रृंखला नियम, रो का प्रमेय, लैंग्राजि का मध्यमान प्रमेय, मेव्लारिन्स एवं टेलर श्रेणी, एल. हारस्पिटल का नियम आंशिक अवकलन, क्रमागत अवकलन लिमिटज का प्रमेय, दिये वक्र पर स्पर्शि एवं अभिलम्ब का समीकरण, निम्निष्ठ एवं उच्चिष्ठ, वर्धमान फलन व हासवान फलन।
 (ii) समाकलन: समाकलन के विभिन्न विधियाँ, निश्चित समाकलन, फलनों के योग एवं गुणन की सीमा, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, निश्चित समाकलन को हल करना। साधारण वक्र के क्षेत्रफल में समाकलन का प्रयोग, गोले, कोन व सिलिण्डर का पृष्ठीय एवं आयतन ज्ञात करना।
 (iii) अवकल समीकरण: अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, जिसका सामान्य हल दिया हो उसका अवकल समीकरण बनाना, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल, रैखिक अवकल समीकरण (अचर गुणांकों के), समघात अवकल समीकरण।
 द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति: समघातीय एवं असम-घातीय रेखायुग्म का समीकरण, रेखायुग्म होने का प्रतिबन्ध (वृत्त, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त) उपरोक्त वक्र पर स्पर्शियों एवं अभिलम्बों का समीकरण, दो शांकों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्शि युग्म, स्पर्श की जीवा, उपरोक्त शांकों के घुवीय रेखाएँ।
 (i) सदिश: सदिश एवं अदिश राशिया, इकाई सदिश, दिकाज्या एवं दिक-अनुपात, सादिशों का अचर का सदिश के साथ गुणन, अदिश एवं सदिश गुणन का भौतिकी में अनुप्रयोग (किया हुआ कार्य, आधुर्ण), रेखा का सदिश प्रक्षेप, दो सादिशों के मध्य का कोण।
 (ii) त्रिकोणीय ज्यामिति: दो बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा का दिकोज्या दिकअनुपात रेखा का कार्तीय एवं सदिश समीकरण, समतलिय एवं विसमतलीय रेखायें रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, समतल में कार्तीय एवं सदिश का समीकरण, दो रेखा के मध्य का कोण, दो समतलों के मध्य का कोण, एक रेखा की समतल से दूरी, दो रेखा का प्रतिच्छेदन, रेखा एवं समतल का प्रतिच्छेदन दो समतलों का प्रतिच्छेदन, दो समतलों प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण।

व्यापार, मुहरें, बन्दरगाह, आस्था एवं धर्म-पशु पूजा, वृक्ष पूजा, शक्ति एवं शिव कांसे की नर्तकी, कला और कला-कृतियाँ, शव-विसर्जन विधि, मुख्य स्थल, पतन के कारण ।
(ग) वैदिक संस्कृति जानने के साधन- वैदिक संहितायें, ब्राह्मण-ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद् एवं धर्मशास्त्र, वेदांग ।
प्रारम्भिक वैदिक संस्कृति- सामाजिक व्यवस्था का उदय, वर्ण व्यवस्था, राजा रत्नन, विवाह, पेशा, देव एवं देवियाँ ।
उत्तर वैदिक संस्कृति- जाति व्यवस्था का उदय, पेशा, राजा, सभा समिति, विश, यज्ञकर्म, पुरोहित, आर्थिक व्यवस्था पणि, निष्क, कृषि एवं उद्योग ।
इकाई-2
मुख्य धार्मिक आन्दोलन- जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म ।
इकाई-3
राजनीतिक इतिहास 600 ई0पू0 से 1200 ई0 तक षोडश महाजनपद, गणराज्य, मगध का उत्कर्ष एवं साम्राज्य की स्थापना, नन्दवंश, मौर्यवंश एवं गुप्त वंश । मौर्य वंश- चन्द्रगुप्त मौर्य एवं अशोक, गुप्त वंश चन्द्रगुप्त प्रथम से स्कन्दगुप्त काल तक, मगध-साम्राज्य के पतन का कारण, विदेशी आक्रमण, पारसीक, मकदुनिया के सिकन्दर, हिन्द-यवन, शक-पहलव, कुषाण, हूण ।
उत्तरी भारत 500 ई0 से 650 ई0 तक उत्तर-गुप्त मौर्य वंश, हर्षवर्द्धन ।
प्रमुख स्थानीय शक्तियाँ (राजपूत युग 700 ई0 से 1200 ई0, शुंग-कण्व, आन्ध्र सातवाहन, मौर्य- पुष्यभूति, गुर्जर-प्रतिहार, चन्देल, परमार, चालुक्य, वादामी के चालुक्य वैगी के चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, पहदकल के चालुक्य, चोल ।
इकाई-4
प्राचीन भारत में आर्थिक इतिहास, कृषि, व्यापार-वाणिज्य, उद्योग धन्धे श्रेणी व्यवस्था, नानादेशी, सिक्का प्रणाली ।
इकाई-5
प्राचीन समाज- वर्ण-जाति, आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, शिक्षा ।
इकाई-6
कला एवं वास्तुकला- मन्दिर, स्तूप, मूर्तिकला, चित्रकला, अन्य कलायें-हस्तकला, पात्रकला-काष्ठकला, लेखन कला (अभिलेख लिपि), स्तम्भ, चट्टान, भित्ति ।
मुहम्मद गोरी का आक्रमण दासवंश- खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, बाबर मुगल साम्राज्य निर्माता के रूप में, हुमायूँ तथा शेरशाह सूरी । मुगल साम्राज्य का विस्तार अकबर से औरंगजेब तक, मुगल साम्राज्य का पतन, मुगलों को शासन व्यवस्था और आर्थिक नीति, बहमनी और विजय नगर का प्रशासन, शिवाजी और मराठों का उत्कर्ष तथा पतन ।
शासन व्यवस्था- दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था, मुगलों की शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ, मुगल कालीन संस्कृति, प्रान्तीय शासन, शेरशाह सूरी की शासन-व्यवस्था । भूमिकर व्यवस्था शेरशाह सूरी और अकबर की भूमिकर व्यवस्था ।
मुगलों की धार्मिक नीति बाबर की धार्मिक नीति हुमायूँ और अकबर की धार्मिक नीति, दीन इलाही, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगलों की दक्षिणी नीति बाबर से औरंगजेब तक ।
मुगल सभ्यता और संस्कृति, शिक्षा, स्त्री शिक्षा साहित्य, कला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला ।
सैनिक व्यवस्था अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जाट, सवार और मराठों की सैन्य व्यवस्था ।
मुगल कालीन समाज सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उद्योग-धन्धे ।
17वीं, 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों का आगमन । डच, पुर्लगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ।
बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय- प्लासी का युद्ध बक्सर का युद्ध तथा उसका महत्व ।
क्लाइव की दूसरी सूबेदारी (1765-67) बंगाल व्यवस्था- दोहरी प्रणाली के गुण और दोष ।
वारेन हेस्टिंग्स- (1772-85) प्रशासनिक सुधार, भूमिकर सुधार, न्यायिक सुधार ।
कार्नवालिस के प्रशासनिक सुधार (1786-93)- कर सम्बन्धी सुधार, बंगाल की स्थायी भूकर व्यवस्था ।
लार्ड वेलेजली- (1798-1805)- सहायक संधि प्रणाली ।
मैसूर का उत्थान- हैदर अली तथा टीपू सुल्तान
प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध
द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध
तृतीय युद्ध-मैसूर युद्ध
चौथा युद्ध-मैसूर युद्ध
लार्ड हेस्टिंग्स और भारत में सर्वश्रेष्ठता का स्थापित होना । आंग्ल-नेपाल युद्ध, पिण्डारी युद्ध, हेस्टिंग्स की मराठा नीति ।
विलियम बैंटिंग-(1828-35)- सती प्रथा को बन्द करना, सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति ।
रणजीत सिंह का जीवन और उपलब्धियाँ:- प्रारम्भिक जीवन, प्रशासन, भूकर तथा सैनिक प्रशासन ।
लार्ड डलहौजी- (1848-56)- व्यपगत का सिद्धान्त, अवध का विलय, लार्ड डलहौजी के सुधार ।
1857 का विद्रोह- विद्रोह के कारण ।
भू-राजस्व व्यवस्था- स्थायी जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी पद्धति, रैवतवाड़ी पद्धति
लार्ड कर्जन- (1899-1905)- बंगाल का विभाजन ।
सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक और धार्मिक सुधार, बहम समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, राम कृष्ण आन्दोलन, थियोसोफिकल आन्दोलन, मुस्लिम सुधार आन्दोलन, कहाबी आन्दोलन, अलीगढ़ आन्दोलन ।
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उत्थान और विकास उदारवादी दल की नीतियों का मूल्यांकन, उग्रवाद के उदय के कारण, होम रूल आन्दोलन, क्रान्तिकारी आतंकवादी आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, स्वतंत्रता आन्दोलन में गांधी जी का मूल्यांकन ।
भारत के अग्रगण्य राष्ट्रीय नेता- राम मोहन राय उनके कार्य का मूल्यांकन और विचार, दादा भाई नौरोजी 1825-1917, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू ।
मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उदय- सर सैयद अहमद खाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना, दो राष्ट्र का सिद्धान्त, हिन्दू महासभा, माउन्ट बैटन योजना, भारत विभाजन ।
संविधान-
1773 का रैग्यूलेटिंग एक्ट
1784 का पिट का इण्डिया एक्ट
1833 का चार्टर एक्ट
1909 का एक्ट
1919 का एक्ट
1935 का एक्ट
स्वतंत्रता का प्रथम चरण- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, रियासतों का एकीकरण और विलय, महात्मा गांधी की हत्या ।
पंचवर्षीय योजनायें- पड़ोसी देशों से सम्बन्ध । पाकिस्तान, चीन, चीनी आक्रमण 1962ए बंगला देश ।
समाज शास्त्र
खण्ड-1
मौलिक समाज शास्त्रीय अवधारणायें
समाज शास्त्र:- अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र
समाज:- अवधारणा एवं विशेषताएं
अन्य सम्बन्धित अवधारणायें:- संस्था, समुदाय, समिति, संस्थायें, सामाजिक समूह, प्रस्थिति एवं भूमिका, संस्कृति एवं सभ्यता ।
खण्ड-2
सामाजिक प्रक्रियायें
सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, परसंस्कृतिग्रहण, समाजीकरण, स्तरीकरण एवं विभेदीकरण ।
खण्ड-3

प्रारम्भिक एवं समकालीन सामाजिक विचारक
पश्चिमी विचारक:- आगस्त कोम्ट, कार्लमार्क्स, हर्वर्टस्पेन्सर, इमाई लदुखीम, मैक्स वेबर
भारतीय विचारक:- राधाकमल मुकर्जी, एम0एन0 श्रीनिवास, जी0एस0 धूरिये,
खण्ड-4
समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धान्त
प्रघटनाशास्त्र एवं लोक विधि-विज्ञान, प्रकायवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, संघर्ष-सिद्धान्त, विनियम सिद्धान्त एवं प्रतीकात्मक अन्तःक्रियावाद ।
खण्ड-5
सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण
सामाजिक परिवर्तन:- अवधारणा, कारक एवं सिद्धान्त
सामाजिक नियंत्रण:- अवधारणा, साधन एवं अभिकरण
सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं:- औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण एवं भूमण्डलीकरण
सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण में संचार साधनों की भूमिका ।
खण्ड-6
भारतीय समाज एवं संस्कृति
जाति, वर्ग, विवाह एवं परिवार ।
संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, वृहतपरम्परा एवं लघु परम्परा, सार्वभौमिकीकरण, स्थानीयकरण ।
खण्ड-7
भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएँ
जाति व्यवस्था, जजममानी व्यवस्था, नातेदारी, पंचायतीराज व्यवस्था,
खण्ड-8
समकालीन भारतीय सामाजिक समस्यायें
निर्धनता, बेकारी, लिंग असमानता, भ्रष्टाचार, कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार- महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की समस्यायें ।
खण्ड-9
सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ
सामाजिक अनुसंधान:- अर्थ तथा सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरण,
शोध प्रारूप- अर्थ एवं प्रकार,
समक संकलन की पद्धतियाँ एवं तकनीतियाँ
सांख्यिकीय विश्लेषण- केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप:- माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन एवं सह सम्बन्ध ।
शिक्षा शास्त्र
1- शिक्षा का अर्थ तथा विषय क्षेत्र, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के अभिकरण, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा- स्वरूप एवं संगठन, जीवन पर्यन्त शिक्षा सतत शिक्षा, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें- वैदिक, बौद्ध, मध्ययुगीन ब्रिटिश तथा स्वातंत्र्योत्तर काल में शिक्षा, भारत में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्राविधान, शिक्षा पर विभिन्न आयोगों व समितियों की संस्तुतियाँ, भारत में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के समस्याएं, राष्ट्रीय एका के लिए शिक्षा, शिक्षित बेरोजगारी, भाषा विवाद, स्त्री शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा के शौर्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा, शिक्षा और भूमण्डलीकरण ।
2- शिक्षा और दर्शन में सम्बन्ध, शिक्षा-दर्शन की प्रकृति एवं महत्व, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद तथा अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्चा, शिक्षण विधियाँ व अनुशासन, महात्मा गाँधी, रविन्द्र नाथ टैगोर, श्री अरविन्द, मदन मोहन मालवीय, सर सैयद अहमद, रूसो तथा जॉन डीवी के शैक्षिक चिन्तन, शैक्षिक समाज शास्त्र का अर्थ एवं विषय क्षेत्र, संस्कृति एवं शिक्षा, नगरीकरण तथा आधुनिकीकरण- शिक्षा पर इनका प्रभाव, सामाजिक स्तरीकरण एवं शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन एवं शिक्षा, धर्म एवं शिक्षा, समाजीकरण के लिए शिक्षा, निर्विद्यालयीकरण, शिक्षा में भविष्य विज्ञान ।
3- शिक्षा मनोविज्ञान- अर्थ, विषय-क्षेत्र एवं महत्व, वृद्धि एवं विकास, शैशावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, समाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास, अधिगम के सिद्धान्त- थॉनडाइक, पावलाव, कोह्लर, कोफका, स्किनर, लेविन, हल तथा टालमेन, अभिप्रेरणा, अधिगम का स्थानान्तरण, व्यक्तित्व का अर्थ एवं फ्रायड, एडलर, युंग तथा इरिक्सन के सिद्धान्त, बुद्धि की प्रकृति एवं सिद्धान्त, मानसिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा, समस्या समाधान तथा सृजनात्मकता- प्रकृति एवं विकास, स्मृति एवं विस्मरण, प्रत्यय निर्माण, चिन्तन- पियाजे एवं ब्रूनर के सिद्धान्त, निर्देशन एवं परमर्श अर्थ आवश्यकता, सेवाएं एवं प्रकार ।
4- शैक्षिक अनुसंधान- अर्थ, उपागम- गुणात्मक व मात्रात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक तथा क्रियात्मक शोध के सोपान, सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण, परिकल्पना-निर्माण व परीक्षण, न्यादर्शन की प्रविधियाँ, अच्छे शोध प्रतिवेदन के लक्षण ।
केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप- मध्यमान, माध्यिका व बहुलक, विचरणशीलता के माप- मानक विचलन, चतुर्थांश विचलन, शतांश, मानक प्राप्तांक-टी, जैड व स्टेनाइन, सामान्य प्रायिकता वक्र- लक्षण एवं उपयोग, सहसम्बन्ध गुणांक, टी, एफ तथा काई-वर्ग परीक्षण ।
5- शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन- अर्थ, विषयक्षेत्र व महत्व, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में उद्देश्यों का लेखन, विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक-प्रकार तथा गणना, निष्पत्ति परीक्षण का निर्माण, निबन्धात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मानक संदर्भित एवं निकष संदर्भित परीक्षण, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, बुद्धि, रुचि एवं सृजनात्मकता का मापन, मापन के उपकरण- साक्षात्कार, निरीक्षण, रेटिंग स्केल, प्रश्नावली तथा समाजमिति, ग्रेडिंग तथा अंकों की स्केलिंग, प्रदत्तों का गुणात्मक विश्लेषण ।
6- दूर शिक्षा- अर्थ एवं महत्व, खुला विद्यालय एवं मुक्त विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रौद्योगिकी- अर्थ व उपागम, कम्प्यूटर सहा
अनुदेशन, शिक्षण प्रतिमान, प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी, बहुमाध्यम उपागम, सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी- समेकित शिक्षा, वेब आधारित अधिगम, शिक्षा में प्रणाली उपागम ।
विद्यालय प्रबन्धन का अर्थ एवं प्रकृति, विद्यालय प्रबन्धन के कार्य, संस्थागत नियोजन, पर्यवेक्षण- प्रकृति एवं प्रविधियाँ, प्रधानाचार्य की भूमिका, विद्यालय समय-सारिणी, विद्यालय का बजट, कार्यक्रम मूल्यांकन-सोपान एक उपयोग केन्द्र, राज्य व स्थानीय स्तर पर विद्यालय प्रशासन के विभिन्न अभिकरण ।
URDU
PART - I
1. اردوزبان وادب کا آغاز وارتقاء
دکن میں (بہمنی دور، عادل شاہی دور، قطب شاہی دور)
شمالی ہند میں (اردو نظم و نثر کا ابتدائی زمانہ، بکٹ کہانی، کر بل کتھا)
2. اردو ہندی کا باہمی رشتہ
3. لکھنؤ اور دہلی کے دبستان شاعری کا مطالعہ (استعمال زبان کے خصوصیات اور امتیازات)
4. اردو ادب کی تحریکیں اور رجحانات (سرسید تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق، جدیدیت)
5. اردو نثر اور فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج (میر اسن، حیدر بخش حیدری، بلو لال جی، ذکاء اللہ، ماسٹر رام چندر)
PART - II
6. اردو اصناف نثری داستان (فسانہ عجائب) ناول (امراؤ جان ادا، آخر شب کے ہم سفر) افسانہ (پریم چند، کفن، گھر کی بیٹی)

منٹو (ٹوب ٹیک سنگھ) بیدی (لاجونی) عصمت چغتائی (چوٹی کا جوڑا) کرشن چندر (داہر پل کے بچے) حیات اللہ انصاری (آخری کوشش) ناولٹ - سجاد ظہیر (لندن کی ایک رات) قاضی عبدالستار (رضو باجی) انشائیہ / طنز و مزاح - پطرس بخاری (سویرے جوکل آنکھ میری کھلی) رشید احمد صدیقی (ارہر کا کھیت) مشتاق احمد یوسفی (چارپائی اور کلچر) فرحت اللہ بیگ (ایک وصیت کی تعمیل) کنھیالال کپور (غالب ترقی پسندوں کی محفل میں) شوکت تھانوی (سوڈیش ریل) مضامین - محمد حسین آزاد (شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار) مولوی عبدالحق (نام دیو مانی) مہدی افادی (اردو نثر کے عناصر خمسہ) خطوط - غالب (اردو نئے معنی) ابولکلام آزاد (چڑیا چڑے کی کہانی) ابتدائی پانچ خطوط - سفر نامہ - یوسف خاں کھل پوٹ (عجائبات فرنگ) سید احتشام حسین (ساحل اور سمندر) سوانح - حالی (حیات سعدی) عصمت چغتائی (کاغزی پیرہن)

7. اردو تحقیق و تنقید - آزاد، حالی، شبلی، امداد امام اثر، حافظ محمود شیرانی، مولوی عبدالحق، قاضی عبدالودود، امتیاز علی خاں عرشی، مسعود حسن رضوی، احتشام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، مسیح الزماں، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، رشید حسن خاں، حنیف احمد نقوی
8. اردو صحافت کا آغاز و ارتقاء - مولوی محمد باقر (دہلی اردو اخبار) فتنی سجاد حسین (اودھ پنچ) ظفر علی خاں (زمیندار) ابولکلام آزاد (الہلال) حسرت موہانی (اردو نئے معنی) عبدالماجد ریبادی (صدق جدید) ظ - انصاری (انقلاب) حیات اللہ انصاری (قومی آواز)
9. اردو ڈراما - آغاز و ارتقاء - امانت لکھنوی (اندلسیجا) آغا حشر کشمیری (سلورنگ) امتیاز علی تاج (انارکلی) اعجاز حسین (سیدانشا) حبیب تنویر (آگرہ بازار)

PART - III

10. اردو اصناف شاعری - (غزل، نظم، مرثیہ، منٹوی، قصیدہ، رباعی، شہر آشوب، واسوخت) غزل - محمد قلی قطب شاہ، ولی، درد، میر، انشا، مصحفی، آتش، ناسخ، غالب، مومن، یگانہ فراق، ناصر کاظمی نظم - نظیر اکبر آبادی (آدی نامہ، روٹیاں، گلہری) اکبر الہ آبادی (ایک فرضی لطیفہ، جلوہ دربار دہلی، مستقبل) اقبال (حقیقت حسن، خضر راہ، طلوع اسلام) چکلیست (رامائن کا ایک سین) سرور جہان آبادی (میر بہوٹی) جوش (البیلی صبح، کسان) فیض (رقیب سے، زنداں کی ایک شام) ی - م - راشد (سبا و میراں) میراجی (کلرک کا فخر، محبت) مجاز (آوارہ) اختر الایمان (ایک لڑکا) وحید اختر (کری نامہ) مرثیہ - میر ضمیر (کس نور کی مجلس میں مری جلوہ گری ہے) میر انیس (جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے) مرزا دبیر (کس شیر کی آمد ہے کہ دن کانپ رہا ہے) منٹوی - میر حسن (سحر الیابان) دیانت لکھنوی (گلزار نسیم) مرزا شوق لکھنوی (زہر عشق) قصیدہ - سودا (اٹھ گیا بہن دے کا چہنستاں سے عمل) ذوق (زہے نشاط اگر کبھی سے تحریر) غالب (دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں) محسن کا کوروی (سمت کاشی سے چلا جانب مہر آبادل) رباعی - انیس، دبیر، حالی، اکبر، امجد حیدر آبادی، رواں، فراق شہر آشوب - سودا (تھک روزگار)

PART - IV

11. اردو قواعد (الف) اسم، ضمیر، فعل، صفت، حرف اور اس کی قسمیں (ب) استعارہ، تشبیہ، مجاز، مرسل اور کنایہ (ج) صنائع و بدائع - لف و نشر (مرتب و غیر مرتب) تلمیح، تلمیح، حسن تعلیل، تجنیس (نام اور ناقص وزائد) سوال و جواب، تنسیق الصفات، ترصیح، سیاق و سباق، اعداد، تضاد، ایہام تضاد اور مراعاة النظر

واणिज्य

1. लेखांकन

लेखांकन के सिद्धान्त, अवधारणा और मान्यताएँ, भारत में लेखांकन प्रमाप, जर्नल, लेजर, तलपट, अशुद्धियों का संशोधन, बैंक समाधान विवरण, अन्तिम खाते (समायोजन सहित), ह्रास संचय एवम् प्रावधान, प्रेषण खाता, संयुक्त उपक्रम, इकहरा लेखा प्रणाली, आगम एवं शोधन खाता, आय और व्यय खाता, पूँजीगत और आयगत प्राप्तियाँ एवं व्यय, विनिमय विपत्र, साझेदारी खाते (प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु, विघटन), कम्पनी खाते - अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का हरण, अपहरित अंशों का पुनर्निर्गमन, ऋण पत्रों का शोधन, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, बोनस अंश, समामेलन के पूर्व एवं पश्चात का लाभ, कम्पनी के अन्तिम खाते। अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण लागत लेखांकन: आशय एवं उद्देश्य, लागत के तत्व, परिव्ययांकन की पद्धतियाँ - इकाई परिव्ययांकन, प्रक्रिया परिव्ययांकन, ठेका परिव्ययांकन,

परिव्ययांकन की तकनीक - सीमान्त परिव्ययांकन, प्रमाप परिव्ययांकन, बजटरी नियन्त्रण प्रबन्धकीय लेखांकन - आशय, उद्देश्य, क्षेत्र और महत्व, वित्तीय लेखांकन एवं प्रबन्धकीय लेखांकन में अन्तर, कर लेखांकन - कृषि आय, करदाता, गतवर्ष, कर निर्धारण वर्ष 2 व्यवसाय संगठन एवं प्रबन्ध: व्यापार, उद्योग और वाणिज्य का आशय, व्यवसाय संगठन के प्रारूप (एकाकी व्यापार, साझेदारी कम्पनी, सहकारी समिति), सार्वजनिक - निजी भागेदारी (पी.पी.पी.), लोक उपक्रमों के प्रकार, संयन्त्र स्थानीयकरण, व्यावसायिक संयोजन, विवेकीकरण, वैज्ञानिक प्रबन्ध, देशी और विदेशी व्यापार, व्यावसायिक सेवायें (बैंकिंग, बीमा, भण्डारण, यातायात और सम्प्रेषण), व्यावसायिक और शासकीय पत्र प्रबन्ध: आशय, प्रकृति व क्षेत्र, प्रबन्ध के सिद्धान्त, संगठनात्मक ढांचा, प्रबन्ध के कार्य (नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन (सम्प्रेषण, नेतृत्व), निर्णयन, नियन्त्रण, समन्वय), एफ0डब्ल्यू टेलर, हेनरी फेयोल, एल्टन मेयो का प्रबन्ध में योगदान। 3. व्यावसायिक वातावरण: अवधारणा, प्रकृति एवं महत्व, आर्थिक प्रणाली के तत्व, सरकारी नीतियाँ (राजनैतिक, विधिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण), बहुराष्ट्रीय निगम, उदासीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, स्कन्ध एवं उपज विपणि, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)। 4. व्यावसायिक सांख्यिकी: सांख्यिकी का आशय, क्षेत्र एवं महत्व, आवृत्ति वितरण, ग्राफ एवं डाइग्राम, केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन (समान्तर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक), अपरिकरण एवं विषमता, निर्देशांक, सह-सम्बन्ध, काल श्रेणी का विश्लेषण, काई वर्ग परीक्षण की पद्धतियाँ एवं उपयोग, कृषि समक, औद्योगिक समक, भारतीय सांख्यिकी की कमियाँ एवं सुधार। 5. व्यावसायिक अर्थशास्त्र: अवधारणा, प्रकृति एवं महत्व, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, माँग विश्लेषण, वितरण के सिद्धान्त (लगान, मजदूरी, ब्याज एवं लाभ), व्यावसायिक चक्र, उदासीनता वक्र विश्लेषण, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या का सिद्धान्त, बेरोजगारी की समस्या। 6. मुद्रा एवं बैंकिंग: मुद्रा का आशय एवं कार्य, मौद्रिक प्रमाप (एक धातुमान एवं द्विधातुमान), ग्रेशम का नियम, मुद्रा के प्रकार, मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन, मुद्रा बाजार एवं पूँजी बाजार। बैंक का आशय एवं कार्य, बैंकों के प्रकार, मर्चेण्ट बैंकिंग, ई-बैंकिंग, नेट बैंकिंग, विदेशी विनिमय, विनिमय नियंत्रण। 7. अंकेक्षण एवं बीमा: अंकेक्षण का आशय, उद्देश्य एवं क्षेत्र, अंकेक्षण की तकनीकें (नैत्यक जांच एवं परीक्षण जांच), अंकेक्षण का वर्गीकरण, आन्तरिक निरीक्षण एवं आन्तरिक अंकेक्षण प्रमाणन, कम्पनी अंकेक्षण - कम्पनी अंकेक्षक की नियुक्ति, पारिश्रमिक, योग्यताएँ, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व, अंकेक्षण प्रतिवेदन, अनुसंधान बीमा का आशय एवं सिद्धान्त, बीमा के कार्य एवं क्षेत्र, बीमा, संविदा के आवश्यक तत्व, बीमा के प्रकार, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) 8. उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय: उद्यमिता का आशय, कार्य एवं प्रकार, उद्यमी के गुण, उद्यमिता के मुख्य सिद्धान्त, भारतीय अर्थ व्यवस्था में लघु एवं मंझोले उद्यमों का योगदान, उद्यमिता और लघु एवं मंझोले उद्योगों के विकास में सरकारी एवं अन्य संस्थाओं का योगदान, भारत में लघु एवं मंझोले उद्योगों की समस्याएँ।

गृह विज्ञान

- 1- शरीर विज्ञान कोशिका, तन्तु एवं तन्त्र
- 2- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (1) व्यक्तिगत स्वच्छता (2) घर एवं पास-पड़ोस की स्वच्छता (3) सामुदायिक विकास में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की भूमिका (4) पर्यावरण एवं प्रदूषण (5) रोग-संक्रामक एवं असंक्रामक एवं उनका उपचार। 3- मानवीय विकास एवं पारिवारिक सम्बन्ध (क) मानवीय विकास (1) विकास के सिद्धान्त (2) मानवीय वृद्धि एवं विकास (3) सम्पूर्ण जीवन के विकासात्मक कार्य (4) नवजात शिशु की देखभाल (5) नर्सरी स्कूल एवं उनके प्रकार (6) विभिन्न प्रकार के खेल के आयाम विभिन्न आयु वर्ग में (ख) परिवार एवं पारिवारिक सम्बन्ध (1) परिवार के प्रकार (2) परिवार की भूमिका (पारिवारिक सदस्यों के कर्तव्य एवं आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व) (3) विवाह एवं पारिवारिक सम्बन्ध (4) घरेलू एवं सामाजिक समस्यायें (1) घरेलू हिंसा (2) नशा (3) दहेज प्रथा (4) सामाजिक विषमता। (4) आहार एवं पोषण (1) आहार एवं पोषक तत्व, आहार समूह एवं संतुलित आहार (2) आहार के कार्य (3) पोषक तत्वों की कमी से रोग, लक्षण एवं उपचार (4) आहार का चयन, भण्डारण (5) भोजन एवं मिलावट एवं उनसे सम्बन्धित समस्याएँ (6) भोजन पकाने की विधियाँ (7) विभिन्न आयु वर्ग एवं रोगी की भोजन व्यवस्था (5) गृह प्रबन्धन (1) प्रबन्धन संसाधन एवं उनका वर्गीकरण (2) विभिन्न संसाधनों का व्यवस्था, कार्य विधि एवं निर्णय (3) कार्य एवं कार्य का सरलीकरण (4) आय, व्यय, बचत एवं बचत का निवेश (5) उपभोक्ता हेतु शिक्षा-दायित्व, कर्तव्य, कानूनी सलाह एवं विधि (6) वस्त्र और परिधान (1) तन्तुओं का वर्गीकरण और गुण (2) वस्त्र तन्तुओं का निर्माण (3) धागे और उनका वर्गीकरण (4) वस्त्र विभाग (5) वस्त्रों की फिनीशिंग - (रंगाई, छपाई एवं विशेष फिनीशिंग) (6) पारम्परिक वस्त्र एवं विभिन्न भारतीय कढ़ाईयें (7) परिधान की मूल डिजाइन, काटना और सिलना (8) वस्त्रों की देखभाल एवं दाग धब्बे छुड़ाना (7) दूरस्थ शिक्षा (1) समुदाय के विकास की योजनाएँ। (2) सम्प्रेषण के साधन, कार्य महत्व एवं प्रकार। (3) औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा। (4) प्रसार शिक्षा-अर्थ एवं क्षेत्र (5) गृह विज्ञान शिक्षा में नेतृत्व, अच्छे नेता के गुण।